राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–49 / 2023
गुजरावती देवी बनाम् बन्दना कुमारी।

यह वाद श्रीमती गुजरावती देवी, ग्राम–इसरी, ग्राम पंचायत नोनार, पोस्ट–छेवरी, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर द्वारा श्रीमती बन्दना कुमारी, पति– श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–इसरी, ग्राम पंचायत नोनार, पोस्ट–छेवरी, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 का परन्तुक–सह–पठित धारा–136(2) के तहत अहर्त्ता नहीं रहने के कारण ग्राम पंचायत नोनार, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर के मुखिया के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती गुजरावती देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हारूण रसीद एवं धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती बन्दना कुमारी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रवेश नाथ तिवारी एवं श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री प्रमोद कुमार एवं श्री मनोज कुमार 'पवन', जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के जाति के संबंध में कोई विवाद नहीं है और न ही उनके मूल निवासी उत्तर प्रदेश के होने के संबंध में। वादी इस बात से सहमत है कि प्रतिवादी की जाति उनके जाति प्रमाण–पत्र में अंकित जाति (चमार) के अनुसार अनुसूचित जाति की सदस्या है। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि उनका मायके ग्राम+पोस्ट–बक्सरा, थाना–गहुमर, तहसील जमनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ०प्र०) है। आगे उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि प्रतिवादी के नाम से गाजीपुर जिला में जाति प्रमाण–पत्र संख्या–657214006143, दिनांक–14.10.2021 निर्गत है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपना मूल जन्म स्थान छिपाकर पति के आवासीय पते पर बिहार राज्य से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया, जिसके आधार पर वें मुखिया पद पर निर्वाचित हो गई है, जबकि सरकार का स्पष्ट परिपत्र/निर्देश है कि जाति प्रमाण–पत्र पिता के आवासीय पते अर्थात् मूल निवास स्थल से निर्गत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा जाँच के क्रम में इस बात को स्वीकार किया गया कि उनके माता–पिता उत्तर प्रदेश राज्य के जिला–गाजीपुर के निवासी तथा वर्ष–2008 में शादी के उपरांत वे बिहार राज्य में अपने पति के साथ कैमूर जिला में आवासित है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि 03 पदाधिकारियों के मिली–भगत से प्रतिवादी को आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही देय है और प्रतिवादी बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि

अंचलाधिकारी, रामगढ़ द्वारा नियमों विरूद्ध जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया तथा निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा नामांकन–पत्र स्वीकार कर लिया गया, जबकि उन्हें इस बात का संज्ञान था कि श्रीमती बन्दना कुमारी उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी है। अतः इस प्रकार धारा–136(1)(g)–सह–पठित धारा–136(2) के तहत मुखिया के पद हेतु निरर्हित घोषित किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि यह सही है कि उनकी मुवक्किल उत्तर प्रदेश राज्य से विवाहोंपरांत बिहार राज्य में अपने पति के साथ स्थाई रूप से निवास कर रहीं है। उनके द्वारा बिहार राज्य में अपने स्थाई आवास के आधार पर ही जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है और इसके आधार पर ही आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई है, जिसे वादी भी स्वीकार करते है। आगे उनके द्वारा C.W.J.C. No. 13437/2022, में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.05.2023 को पारित न्याय–निर्णय के प्रभावकारी अंश का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"5. Having regard to the facts and circumstance of the case and considering the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of Kumari Madhuri Patil (Supra) as also by the Ld. Division Bench of this Court in the case of Baidhnath Singh (Supra), this Court finds that it was not open for the respondent no. 3 i.e. the Circle Officer, Ramgarh, District- Kaimur to cancel the Caste Certificate of the petitioner, vide impugned order dated order dated 25.01.2022 and it was only the Bihar State Caste Scrutiny Committee, which could have interfered in the matter, hence, the order dated 25.01.2022, issued by the respondent no. 3 is contrary to law, not only on the said ground but also on the ground of being an ex-parte order, passed without giving any opportunity of hearing to the petitioner, hence, the order dated 25.01.2022, passed by the respondent no. 3 is set aside, however, liberty is granted to the Respondents to approach the Bihar State Caster Scrutiny Committee, in case they are of the opinion that the Caste Certificate, issued to the petitioner is not genuine and contrary to law, for verification of the caste certificate of the petitioner and cancellation thereof. It is needless to state that in case, the Respondents approach the Bihar State Caster Scrutiny Committee, it shall examine the case in hand and take a final decision, in accordance with law, within a period of three months."

स्पष्ट है कि उनके मुवक्किल के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र को रद्द किए जाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः जाति प्रमाण–पत्र को रद्द किए बिना इसके लाभ से उनके मुवक्किल को वंचित नहीं किया जा सकता।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि समरूप मामले में प्रीति चौरसिया बनाम् मंजू देवी एवं गुरू सहाय सिंह बनाम् सविता देवी मामले में आयोग द्वारा मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित किया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मामलों में Due Process of Law का पालन किया जाना चाहिए। अतः उनके मुवक्किल का जाति प्रमाण--पत्र के संबंध में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को ही अंतिम अधिकार प्राप्त है कि यह जाति प्रमाण--पत्र वैध है, अथवा नहीं ? यदि यह अवैध भी है, तो इसको रद्द करने की शक्ति केवल उक्त निदेशालय में ही निहित है। अंततः श्री चौबे द्वारा मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित करने का अनुरोध किया गया।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)--सह--जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा पत्रांक--14/प0, दिनांक--14.01.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् है:--

''परिवादी श्रीमती गुजरावती देवी द्वारा श्रीमती वन्दना कुमारी के जाति प्रमाण--पत्र से संबंधित किया गया है कि श्रीमती वंदना कुमारी, पति--जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम--इसरी, पंचायत नोनार के नाम से निर्गत जाति प्रमाण--पत्र के संदर्भ में विविध वाद सं0--01/2021--22 संधारित कर आदेश पारित कर रद्द कर दिया गया है। श्रीमती वन्दना कुमारी, पिता--श्री अनिल राम, ग्राम--बकसड़ा, प्रखण्ड--भदौरा, जिला--गाजीपुर की मूल निवासी है। इन्होनें अपने पिता के नाम से रामगढ़ अंचल से जाति के नाम की गलत जानकारी देकर जाति प्रमाण--पत्र बनवा ली थी। बिहार सरकार की गजट 08 मार्च 2021 के अनुसार जाति प्रमाण--पत्र , आय प्रमाण--पत्र एवं क्रिमीलेयर निर्गत करने के संबंध में दिशा--निर्देश प्राप्त है, कि राज्य के कूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ देय है। उक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमती वन्दना कुमारी का अंचल कार्यालय रामगढ़ से निर्गत जाति प्रमाण--पत्र रद्द किया गया है।''

6. आयोग द्वारा प्रतिवादी के उक्त अनुरोध को इस कारण स्वीकार कर लिया गया कि C.W.J.C. No. 869/2017, बिन्दु देवी बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य तथा C.W.J.C. No. 10775/2022, कविता देवी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले में अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का निर्णय अपेक्षित था।

7. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दोनों पक्षों को प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुये, उन्हें अपना--अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि अब सारी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी है तथा स्वयं प्रतिवादी भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि

(निदेशालय) के प्रभावी अंशों की तरफ आयोग का ध्यानाकृष्ट किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि कंडिका–5(vi), कंडिका–10 एवं कंडिका–11 का वाचन किया गया तथा आयोग से अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी, प्रतिवादी के सरकारी शिक्षक पति (जितेन्द्र कुमार गौतम, सर्वोदय हाई स्कूल, गोरीयाँ, नुआँव, कैमूर) एवं दोषी राजस्व कर्मचारी तथा अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई तर्क नहीं दिया गया तथा केवल समय विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

8. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) द्वारा ज्ञापांक–11/आ0जा0–30/2023 सा0प्र0–7325, पटना–15, दिनांक–25.04.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश प्रतिवेदन के कंडिका–5(vi), कंडिका–10 एवं कंडिका–11 में अंकित है, जो निम्नवत् है:–

<u>कंडिका–5(vi)- "अपराध अनुसंधान विभाग का मंतव्यः–</u> जाँचोपरांत जाँचदल द्वारा अंकित किया गया है कि श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–स्व0 अनिल कुमार दास, माता–चंदा देवी, ग्राम+पोस्ट–बकसड़ा, थाना–गहमर, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की निवासी है, जिनकी शादी श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी(इसरी), थाना+प्रखण्ड–रामगढ़, जिला–कैमूर(भभुआ) से हुआ है। बंदना कुमारी द्वारा सर्वप्रथम वर्ष–2011 एवं 2021 में अंचल कार्यालय, रामगढ़ में गलत सूचना देकर बिहार से जाति प्रमाण–पत्र अपने पिता–स्व0 अनिल राम के नाम से बनवाया गया है। इस प्रकार गलत सूचना देकर जाति प्रमाण–पत्र बनवाने की प्रक्रिया में श्रीमती बंदना कुमारी एवं इनके पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी(इसरी), थाना+प्रखण्ड–रामगढ़, जिला–कैमूर(भभुआ) की संलिप्ता पायी गयी है।

कंडिका–10:–उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम–15/2013 में निम्नांकित प्रावधान है–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेगें।"

कंडिका–11:– अतएव अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों तथा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी तथ्यों/साक्ष्यों एवं प्रस्तुत बचाव–बयान के तर्कों एवं साक्ष्यों को दृष्टिपथ में रखते हुये सम्यक् विचारापरांत मतैक्य के आधार पर श्रीमती बंदना कुमारी, श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी(इसरी), थाना+प्रखण्ड–रामगढ़, जिला–कैमूर(भभुआ) द्वारा किये जा रहे चमार(अनुसूचित जाति) जाति के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण के दावे को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।"

आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, कैमूर का प्रतिवेदन तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का निर्णय तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का

अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:-

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती बंदना कुमारी (वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत नोनार, प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर) द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने परिवार सदस्यों सहयोग से फर्जीवाड़ा कर बिहार राज्य से अपने पक्ष जाति प्रमाण--पत्र निर्गत कराते हुये बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के सदस्य हेतु आरक्षित पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा--135 का उल्लंघन कर मुखिया, ग्राम पंचायत नोनार, प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।"

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार श्रीमती बंदना कुमारी, पिता--स्व0 अनिल कुमार दास, माता--चंदा देवी, ग्राम+पोस्ट--बकसड़ा, थाना--गहमर, जिला--गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की निवासी है, जिनकी शादी श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम--छेवरी(इसरी), थाना+प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर(भभुआ) से हुआ है। बंदना कुमारी द्वारा सर्वप्रथम वर्ष--2011 एवं 2021 में अंचल कार्यालय, रामगढ़ में गलत सूचना देकर बिहार से जाति प्रमाण--पत्र अपने पिता--स्व0 अनिल राम के नाम से बनवाया गया है। इस प्रकार गलत सूचना देकर जाति प्रमाण--पत्र बनवाने की प्रक्रिया में श्रीमती बंदना कुमारी एवं इनके पति--श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम--छेवरी(इसरी), थाना+प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर(भभुआ) की संलिप्ता पायी गयी है तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा प्रतिवादी के आरक्षण के दावें को बिहार अधिनियम--15/2003 के आलोक में खारिज कर दिया गया है।

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक--17.09.2019 को पारित न्याय--निर्णय के आलोक में ऐसे मामलों में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है। अतः आयोग वादी के तर्कों से सहमत है कि जाति के मामले में राज्य के Apex Fact Finding body का निर्णय प्राप्त है, अतः आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवादी को पदमुक्त किया जाए।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती बन्दना कुमारी, ग्राम पंचायत नोनार, प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर द्वारा अपने सरकारी शिक्षक पति के साथ षडयंत्र कर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद स्थानीय पदाधिकारियों से मिली--भगत कर अपने पति के निवास स्थल से जाति प्रमाण--पत्र प्राप्त किया, जबकि उन्हें अपने मायके (पिता के निवास स्थान) से निर्गत जाति प्रमाण--पत्र आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु नामांकन--पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य था। इस प्रकार श्रीमती बन्दना कुमारी द्वारा बिहार राज्य के मूल

निवासियों हेतु आरक्षित अनुसूचित जनजाति के मुखिया पद हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम--2006 (यथा--संशोधित) की धारा--135 के परन्तुक में निर्धारित अहर्त्ता नहीं रहने के बावजूद निर्वाचन प्रक्रिया में गलत शपथ--पत्र के आधार पर भाग लिया गया। चूँकि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा प्रतिवादी के आरक्षण संबंधी दावें को खारिज कर दिया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा C.W.J.C. No. 869/2017 With 10775/2022 With 5516/2023 मामले में न्याय--निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें यह निर्धारित किया जा चुका है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिये ही देय है।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रतिवादी श्रीमती बन्दना कुमारी, ग्राम पंचायत नोनार, प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर के पास बिहार पंचायत राज अधिनियम--2006 (यथासंशोधित) की धारा--135 के परन्तुक में वर्णित अहर्त्ता नहीं रहने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम--2006 (यथासंशोधित) की धारा--136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उन्हें तत्काल प्रभाव से निरर्हित घोषित करते हुये, मुखिया, ग्राम पंचायत नोनार, प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर के पद से पदमुक्त किया जाता है। मुखिया, ग्राम पंचायत नोनार, प्रखण्ड--रामगढ़, जिला--कैमूर के रिक्त पद को भरने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ख) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, रामगढ़, कैमूर एवं राजस्व कर्मचारी तथा श्रीमती बन्दना देवी एवं पति श्री जितेन्द्र कुमार गौतम को अवैध/गलत जाति प्रमाण--पत्र निर्गत करने/कराने हेतु दोषी हैं।

स्पष्ट है कि श्रीमती बन्दना देवी द्वारा बिहार राज्य से निर्गत जाति प्रमाण--पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक--3887, दिनांक--08.11. 2007 के कंडिका--03 (ग) के आलोक में गलत जाति प्रमाण--पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तथा दोषी अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का प्रावधान अंकित है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)--सह--जिला पदाधिकारी, कैमूर के स्तर से जिला दंडाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत सरकार के उक्त संकल्प के अधीन प्रतिवादी एवं दोषी पदाधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विधिक/विभागीय कार्रवाई वांछनीय है।

(ग) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रमुख अंग अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है श्रीमती बन्दना कुमारी द्वारा वर्ष--2011 एवं वर्ष--2021 में भी गलत सूचना देकर बिहार से जाति प्रमाण--पत्र बनवाया गया है। गलत सूचना देकर जाति प्रमाण--पत्र बनाने में श्रीमती बन्दना कुमारी एवं इनके पति जो कि सरकारी शिक्षक हैं, (वादी के दावें के अनुसार), दोषी पाये गये है। प्रतिवादी के पति श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम छेवरी(इसरी), थाना+प्रखण्ड--रामगढ, जिला--कैमूर का उक्त कृत्य बिहार राज्य के सरकारी सेवक के आचार नियमावली के विपरीत है तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु इनके आपराधिक षडयंत्र की मंशा का द्योतक है, क्योंकि उनके द्वारा किया जाने वाला कृत्य आदतन एवं जान--बुझकर किया जाने वाला कृत्य प्रमाणित हुआ है, न कि अंजाने में की गयी गलती।

उक्त वर्णित स्थिति में जहाँ अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार गौतम के विरूद्ध साक्ष्य प्राप्त किया गया है, नियमानुसार विभागीय एवं विधिक कार्रवाई आवश्यक है। अतः राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुये अग्रेत्तर यथोचित/नियमानुसार कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर को प्रेषित कर दी जाये।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/--
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/--
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक--49/2023 पटना, दिनांक--......................

प्रतिलिपिः-- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना(अनुलग्नक सहित)/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक--49/2023 2349 पटना, दिनांक--29.5.25

प्रतिलिपि--जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)--सह--जिला पदाधिकारी, **कैमूर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **कैमूर**/जिला शिक्षा पदाधिकारी, **कैमूर (अनुलग्नक सहित)** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **कैमूर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई--मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

29/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग

(3)

190३१०४३१०

29/4/25

श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–श्री अनिल राम, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) की जाति विनिश्चयन/~~सत्यापन~~ हेतु दिनांक–11.04.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत बैठक की कार्यवाही।

विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के ज्ञापांक–3850 दिनांक–08.11.2023 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के वाद संख्या–49/2023 गुजरावती देवी बनाम बंदना कुमारी में दिनांक–08.11.2023 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती बंदना कुमारी की जाति प्रमाण पत्र की जाँच सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय जाति विनिश्चयन समिति से कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

2. मामले की पृष्ठभूमि यह है कि पंचायत चुनाव, 2021 में कैमूर (भभुआ) जिला के अधीन रामगढ़ प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नोनार अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित था। वादी श्रीमती गुजराती देवी द्वारा प्रतिवादी श्रीमती बंदना कुमारी के उपर आरोप लगाया गया है कि श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा अपना मूल जन्म स्थान छिपाकर पति के आवासीय पते पर जाली जाति प्रमाण–पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट पर मुखिया के पद पर निर्वाचित हुयी हैं, जबकि वास्तव में वे मूल रूप से ग्राम+पोस्ट–बक्सरा, थाना–गहुमर, तहसील–जमनियां, जिला–गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की निवासी हैं। यद्यपि श्रीमती बंदना कुमारी, अनुसूचित जाति ''चमार'' जाति की सदस्या हैं, परन्तु राज्य की मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ देय है। श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर उक्त चुनाव में आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए निर्वाचित होने के कारण हीं राज्य निर्वाचन आयोग में यह वाद दायर किया गया है।

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–श्री अनिल राम, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) की जाति विनिश्चयन स्टेट लेवल कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी से कराते हुए जाँच–सह–क्रियान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि वाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा सके।

1888
29.4.25

4. राज्य निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त अनुरोध के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या–3887 दिनांक–08.11.2007 में अंकित प्रावधानानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–21988 दिनांक–04.12.2023 द्वारा इस मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध कराने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया।

30.04.25

5. पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1152 दिनांक–03.12.2024 द्वारा श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–श्री अनिल राम, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) का जाति सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसका सारांश निम्नवत है–

(i) स्थलीय जाँच–जाँच दल द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि श्रीमती बंदना कुमारी का पैतृक गाँव बकसड़ा, तहसील–सेवराई, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश है, जिसके फलस्वरूप

त्रिसदस्यी जाँच दल द्वारा श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–स्व0 अनिल कुमार राम, माता–चंदा देवी, ग्राम+पोस्ट–बकसड़ा, थाना–गहमर, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–657214006143 दिनांक–14.10.2021 में अंकित है कि श्रीमती बंदना कुमारी उत्तर प्रदेश राज्य की चमार जाति से संबंधित हैं।

(ii) ग्रामीणों का बयान (मायका)–जाँच के दौरान ग्राम प्रधान श्रीमती गीता सिंह, पति–श्री विजय नारायण सिंह, ग्राम पंचायत–बकसड़ा, वि0ख0 प्रखंड–भदौरा, तहसील–सेवराई, जनपत–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने लैटर पैड पत्रांक–731/24 दिनांक–20.07.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें बकसड़ा ग्राम पंचायत के पाँच ग्रामीणों द्वारा श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–स्व0 अनिल कुमार राम की सबसे बड़ी पुत्री होने तथा ग्राम+पोस्ट–बकसड़ा, थाना–गहमर, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बताया गया है।

(iii) राजस्व अभिलेख–जाँच के दौरान राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश से उपलब्ध कराए गए खतियान, जिसका क्रमांक–76124 में बैजनाथ के नाम से खतियान है, जो श्रीमती बंदना कुमारी के पिता स्व अनिल कुमार राम के पिता है, अर्थात श्रीमती बंदना कुमारी के दादा हैं।

ग्राम पंचायत अधिकारी, बकसड़ा, न्याय पंचायत विकास खण्ड–भदौरा, जनपद–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा सत्य प्रतिलिपि परिवाद रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती बंदना कुमारी के पिता–स्व0 अनिल कुमार राम को ग्राम–बकसड़ा, परगना–जमनियाँ, तहसील–जमनियाँ, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया है तथा अनुसूचित जाति से संबंधित होने का भी प्रमाण दिया गया।

(iv) वादी श्रीमती गुजरावती देवी का बयान–जाँच के क्रम में श्रीमती गुजरावती देवी एवं इनके पति–श्री भोला पासवान, ग्राम–छेबरी, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर द्वारा जाँच दल द्वारा को बताया गया कि श्रीमती बंदना कुमारी, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) को जाति प्रमाण पत्र मायके के आधार पर लगाना था, लेकिन बंदना कुमारी द्वारा गलत तरीके से अपना और अपने पिता का निवास स्थल ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) दिखाते हुए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

(v) अंचल कार्यालय से सत्यापन–जाँच के दौरान अंचल कार्यालय, रामगढ़, कैमूर द्वारा बताया गया कि पूर्व में श्रीमती बंदना कुमार, पिता–श्री अनिल राम, माता–चंदा देवी, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम का निर्गत चमार जाति का जाति प्रमाण पत्र जाँचोंपरांत रद्द कर दिया गया है।

(vi) अपराध अनुसंधान विभाग का मंतव्य–जाँचोंपरांत जाँच दल द्वारा अंकित किया गया है कि श्रीमती बंदना कुमारी, पिता–स्व0 अनिल कुमार राम, माता– चंदा देवी, ग्राम+पोस्ट–बकसड़ा, थाना–गहमर, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, जिनकी शादी श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) से हुआ है। बंदना कुमारी द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2011 एवं 2021 में अंचल कार्यालय, रामगढ़ में गलत सूचना देकर बिहार से जाति प्रमाण पत्र अपने पिता–स्व0 अनिल राम के

नाम से बनवाया गया है। इस प्रकार गलत सूचना देकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में श्रीमती बंदना कुमारी एवं इनके पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) की संलिप्तता पायी गयी है।

6. अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में अपराध अनुसंधान विभाग का जाँच प्रतिवेदन श्रीमती बंदना कुमारी के दावे के प्रतिकूल रहने के कारण विभागीय पत्रांक–636 दिनांक–13.01.2025 (स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक–18.01.2025 को प्राप्त) द्वारा अपना बचाव बयान पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग में उपलब्ध कराने हेतु श्रीमती बंदना कुमारी से अनुरोध किया गया, परन्तु श्रीमती बंदना कुमारी के स्तर से अपनी जाति के पक्ष में प्रतिवेदन/बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है।

7. श्रीमती बंदना कुमारी, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) को विभागीय पत्रांक–3776 दिनांक–04.03.2025 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक–21.03.2025 को 12:00 बजे मध्याह्न में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–अध्यक्ष, सामान्य समिति के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में श्रीमती बंदना कुमारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे तथा श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा ई–मेल दिनांक–21.03.2025 के माध्यम से प्रेषित अभ्यावेदन में दिनांक–07.03.2025 को दुर्घटना होने के कारण चलने में असमर्थ रहने के फलस्वरूप आहूत बैठक में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गयी, जिसके फलस्वरूप पुनः विभागीय पत्रांक–5926 दिनांक–02.04.2025 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का एक और अवसर देते हुए दिनांक–11.04.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–अध्यक्ष, सामान्य समिति के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक की सूचना दी गयी है।

साथ ही यह भी सूचना दी गयी है कि आहूत बैठक में यदि श्रीमती बंदना कुमारी स्वयं अथवा इनके द्वारा नामित व्यक्ति उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जाएगा कि श्रीमती कुमारी को कुछ नहीं कहना है। उक्त स्थिति में समिति अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके लिए दुबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।

8. उक्त के आलोक में दिनांक–11.04.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सामान्य समिति की आहूत बैठक में श्रीमती बंदना कुमार के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा श्रीमती बंदना कुमारी के बचाव के समर्थन में बताया गया कि श्रीमती बंदना कुमारी का पैतृक निवास गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) है, जबकि इनकी जाति चमार (अनुसूचित जाति) जाति हीं है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 में पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का प्रावधान है, परन्तु पिता के निवास के आधार पर आरक्षण के प्रावधान की जानकारी के अभाव में अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित मुखिया के सीट पर श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा चुनाव लड़ा गया एवं उक्त पद पर निर्वाचित हुई।

10. उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम–15/2003 में निम्नांकित प्रावधान है–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।"

11. अतएव अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों तथा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी तथ्यों/साक्ष्यों एवं प्रस्तुत बचाव–बयान के तर्कों एवं साक्ष्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत मतैक्य के आधार पर श्रीमती बंदना कुमारी, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) द्वारा किए जा रहे **चमार (अनुसूचित जाति)** जाति के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण के दावे को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि समिति के उपर्युक्त निर्णय से सभी संबंधित पक्षकारों को अवगत करा दिया जाय।

ह0/–
(श्री सिद्धेश्वर चौधरी),
अवर सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग–
सह–सदस्य।

ह0/–
(श्री गौतम पासवान),
अपर सचिव–सह–
मनोनीत पदाधिकारी,
अनु0 जाति एवं अनु0
जनजाति कल्याण विभाग–
सह सदस्य।

ह0/–
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सह–अध्यक्ष,
सामान्य समिति।

ज्ञापांक–11/आ० जा०–30/2023 सा०प्र० 7325 **पटना–15, दिनांक–** 25.4.25

प्रतिलिपि–~~विशेष~~ कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को उनके ज्ञापांक–3850 दिनांक–08.11.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड–पोस्ट

(2) जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) श्रीमती बंदना कुमारी, पति–श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम–छेवरी (इसरी), थाना+प्रखंड–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ), पिन–821101, मो0–9801505680 एवं अन्य संबंधित पक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/04/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

PATH-C/Nitish TIPPNI